आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

अरुण कुमार त्यागी से पहले, जे.

गीता देवी और एक अन्य-अपीलार्थी

बनाम

गुरुदास मान और अन्य प्रतिवादीगण 2010 का एफ. ए. ओ. No.6464

1 मार्च, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, **1988-**एस**. 163-**ए**, 166** और **171-**सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-**धारा **34-** ब्याज न्यायाधिकरण धारा **34** सी**.** पी**.** सी**.** द्वारा ब्याज को **6** प्रतिशत तक सीमित करने के लिए बाध्य नहीं है**-**ब्याज को संशोधित कर **9** प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को एम. वी. अधिनियम की धारा 163-ए या 166 के तहत दावा याचिकाओं में एम. वी. सी. टी. की धारा 171 द्वारा दावा याचिका की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, दावा करने की तारीख से उस दर पर ब्याज देने का अधिकार है जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाए। ब्याज देने में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के प्रावधानों से बाध्य नहीं है, जो ब्याज के पुरस्कार को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत तक सीमित करता है।

(पैरा 20)

इसके अलावा यह माना गया कि उपरोक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों, प्रचलित ब्याज की वाणिज्यिक दर, सावधि जमा प्राप्तियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज की दर और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर को संशोधित करके 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करना उचित होगा।

(पैरा 22)

ललित कुमार शर्मा, अधिवक्ता और

सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

रजनीश मल्होत्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए नं.3-बीमा कंपनी

अरुण कुमार त्यागी, जे।

(1) अपीलकर्ता-दावेदारों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, यमुना नगर द्वारा जगाधरी में दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

न्यायाधिकरण ') 2009 के एम. ए. सी. टी. मामले No.53 में जिसका शीर्षक गीता देवी और गीता देवी और एक और बनाम गुरदास मैन और अन्य था।

559

(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

एक और बनाम गुरदास मान और अन्य की मृत्यु के कारण

को हुई मोटर वाहन दुर्घटना में योगेश सैनी। 08.10.2008.

(2) संक्षेप में कहा गया है कि वर्तमान अपील दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि मृतक योगेश सैनी के दावेदार-माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में 'एम. वी. अधिनियम') के तहत दावा याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था 08.10.2008 को जब विकास सैनी और योगेश सैनी एस. आर. एम. कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जा रहे थे,इंडिका कर जिसका रेजिस्ट्रेशन नं HR02M4575 था प्रतिवादी संख्या 2 के स्वामित्व वाली और प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बीमाकृत प्रतिवादी नं 1 तेज गति से आए और उन्हें टक्कर मार दी, जिससे योगेश सैनी को चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि विकास सैनी को कई साधारण और गंभीर चोटें लगी दुर्घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 279,337 और 304-ए के तहत नारायणगढ़ के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी नं 210 दिनांकित 08.10.2008 दर्ज की गई थी।यह निवेदन करते हुए कि उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, जो उपरोक्त कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक उज्ज्वल छात्र था, दावेदारों ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खिलाफ लागत और ब्याज के साथ मुआवजे की मांग की।

(3) याचिका का उत्तरदायी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ओर 2 द्वारा दायर संयुक्त लिखित बयान और प्रतिवादी संख्या

3 द्वारा दायर अलग लिखित बयान के संदर्भ मे विरोध किया गया था प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 ने दुर्घटना से इनकार किया और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और बीमित व्यक्ति द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर आपत्ति जताई।

(4) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि घायल विकास ने एम. ए. सी. टी. मामले वाले एम. वी. अधिनियम की धारा 166 के तहत अलग से दावा याचिका दायर की थी।

**2009** का **No.21** शीर्षक विकास सैनी बनाम गुरदास मान और अन्य

जिसका प्रतिवादीगण द्वारा विरोध किया गया था और वर्तमान दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका के साथ मुकदमा चलाया गया था।

(5) मुद्दे तय किए गए और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए।

(6) रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन और पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के स्वामित्व वाली और प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बीमित इंडिका कार के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में योगेश सैनी की मृत्यु हो गई और विकास सैनी को चोटें आईं और प्रतिवादी संख्या 1 के पास 560 पर वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था।



दुर्घटना का समय।न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों और माता-पिता की उम्र और मृतक द्वारा किए गए योगदान पर गौर करते हुए दावेदार को । 2,50,000-अपने बेटे योगेश सैनी की मृत्यु के मुआवजे के रूप में बराबर शेयरों में और प्रतिवादीगण को प्रति वर्ष 7.5% की दर से लागत और ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

(7) पीड़ित महसूस करते हुए दावेदारों ने मुआवजे में वृद्धि के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

(8) मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संबोधित दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

(9) यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नं. 1 द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना के कारण योगेश सैनी की मृत्यु के बारे में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष।1 प्रतिवादीगण संख्या 2 के स्वामित्व वाली और प्रतिवादीगण संख्या 3 के साथ बीमित इंडिका कार की, प्रतिवादीगण संख्या 1 के पास वैध और प्रभावी

ड्राइविंग लाइसेंस है और दावेदार जो उत्तरदाता संख्या 1 से 3 से अपनी मृत्यु के लिए मुआवजे की वसूली करने के हकदार हैं, उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदाताओं द्वारा अपील, प्रति-आपत्तियां दायर करके या यहां तक कि बहस के दौरान भी चुनौती नहीं दी गई है और यह सबूत के उचित मूल्यांकन पर आधारित है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(10) अपीलार्थियों के वकील श्री ललित कुमार शर्मा ने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने की एकमुश्त राशि प्रदान की है। 2,50,000-मृतक की अनुमानित आय का आकलन किए बिना, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का जोड़, व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती करने के बाद गुणक का निर्धारण और उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र के अनुसार 18 का गुणक लागू करना। उल्लेख करते हुए

सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य 1 और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में निर्णय

बनाम प्रणय सेठी और अन्य 2 अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च, संतान संघ के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के लिए भी कोई राशि नहीं दी है। इसलिए, विवादित फैसले को संशोधित किया जा सकता है और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाया जा सकता है।

(11) दूसरी ओर, एस। प्रतिवादी No.3-Insurance कंपनी के विद्वान वकील रजनीश मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि मृतक-लगभग साढ़े 17 वर्ष की आयु का योगेश सैनी एक छात्र था और उसके पास कुछ भी नहीं था।



कोई भी आय। न्यायाधिकरण ने न्यायसंगत और उचित मुआवजे का आदेश दिया है और दावेदार इसके संवर्धन के हकदार नहीं हैं। (12) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों, माता-पिता की उम्र और उन योगदानों को देखकर जो मृतक ने किए होंगे, दावेदारों को 2,50,000-दावेदारों को लेकिन न्यायाधिकरण ने मृतक की काल्पनिक आय का आकलन नहीं किया, भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई वृद्धि नहीं की , व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती करने के बाद गुणक निर्धारित किया और उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र के अनुसार गुणक लागू किया और अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति की हानि और संघ के नुकसान के पारंपरिक शीर्षों के तहत कोई राशि नहीं दी। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को न्यायसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता है।

(13) माना जाता है की , मृतक-विकास सैनी की आयु लगभग साढ़े 17 वर्ष थी और वह एस. आर. एम. कॉलेज ऑफ

टेक्निकल एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था और उसकी कोई आय नहीं थी। हालांकि, दावेदारों को देय उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, मृतक की काल्पनिक आय का आकलन करने की आवश्यकता थी। शिक्षा पूरी होने पर, मृतक ने उच्च कुशल व्यक्ति के रूप में नौकरी हासिल की होगी और कमाई की होगी। 2015 के एफ. ए. ओ. No.1502 में शीर्षक दिया गया

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम पुष्प सिंह चौहान और अन्यथा **20.03.2015** को इस न्यायालय की एक माननीय समन्वय पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे की गणना की पुष्टि की, जिसके तहत एक छात्र की मृत्यु के संबंध में। चंद्र मोहन झा विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय) में मैकेनिकल आय का अनुमान रु। 10, 000/- प्रति माह और भविष्य की संभावनाओं के लिए 50 प्रतिशत की दर से जोड़ा गया था जिसे 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) S.No.19533 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। 2015 के एफ. ए. ओ. No.510 में शीर्षक

अनीता जोशी के रूप में और एक अन्य बनाम सरवन सिंह और एक अन्य

इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ ने लगभग 18-20 वर्ष की आयु के मृतक की अनुमानित आय का आकलन किया, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का छात्र था। 10, 000/- प्रति माह और प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा गया। वर्तमान मामले और उपरोक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मृतक की अनुमानित आय को अनुमानित रूप से रुपये के रूप में निर्धारित करना उचित होगा। 10, 000/- प्रति माह ।

(14) प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा No.61 (iv) में कहा कि स्व-नियोजित व्यक्तियों या निश्चित वेतन पर कार्यरत व्यक्तियों के मामले में, भविष्य की संभावनाओं के लिए स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए।



निर्दिष्ट टिप्पणियां मृतक की काल्पनिक आय के आकलन से जुड़े वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होंगी। जब इसे जोड़ा जाता है, तो मृतक की अनुमानित आय (रु। 10, 000 + 4000 =) रु। 14, 000/-। चूंकि, मृतक कुंवारा था, इसलिए सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में अपने फैसले के पैरा No.15 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/2 की कटौती की जानी चाहिए। प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में अपने

फैसले के पैरा No.61 (vii) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए गुणक को मृतक की उम्र के आधार पर लागू किया जाना चाहिए न कि माता-पिता की उम्र के आधार पर।मृतक की आयु साढ़े 17 वर्ष होने और सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में अपने फैसले के पैरा No.21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए, 18 का गुणक लागू होता है।जब 18 का गुणक (रु.) के गुणक पर लागू होता है। 7, 000 x 12 =) रु. 84, 000, मृतक पर दावेदारों की निर्भरता का नुकसान (रु। 84, 000 x 18 =) रु. 15,12,000-।

(15) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के लिए कोई राशि नहीं दी।प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में अपने फैसले के पैरा No.61 (viii) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात्, संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार के खर्च क्रमशः Rs.15,000/-, Rs.40,000/- और Rs.15,000/- होने चाहिए।उपर्युक्त राशियों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।"

(16) भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों में मुआवजे के आकलन के लिए हर तीन साल में पारंपरिक शीर्षों पर 10 प्रतिशत की दर से आंकड़े बढ़ाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के परिणामस्वरूप, पारंपरिक शीर्ष पर आंकड़े तीन साल के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10 प्रतिशत की दर से घटाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(17) मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले (सुप्रा) में,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी भाषा में 'कंसोर्टियम' एक व्यापक शब्द है जिसमें 'स्पौसल कंसोर्टियम', 'पेरेंटल कंसोर्टियम' और 'फिलियल कंसोर्टियम' शामिल हैं। 40, 000/- प्रत्येक मृतक के पिता और बहन को संतान संघ के नुकसान के लिए।हालांकि, पीठ ने अपने फैसले के पैरा संख्या 8.7 में कहा कि संघ के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित 'संघ के नुकसान' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया गया।

(18) ऊपर निर्दिष्ट प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दावेदार के मुआवजे के हकदार होंगे। 28, 000/- केवल फिलियल कंसोर्टियम के नुकसान के लिए बराबर शेयरों में और रु। 10, 500/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए और रु। 10, 500/- संपत्ति के नुकसान के लिए।

(19) वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से पूरी राशि की प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसे अपर्याप्त होने के लिए चुनौती दी गई है और जो

सवाल उठता है वह यह है कि ब्याज की उचित दर क्या होगी।

(20) एम. वी. अधिनियम की धारा 163-ए या 166 के तहत दावा याचिकाओं में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को एम. वी. अधिनियम की धारा 171 द्वारा दावा याचिका की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, दावा करने की तारीख से उस दर पर ब्याज देने का अधिकार है जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।ब्याज देने में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के प्रावधानों से बाध्य नहीं है, जो ब्याज के पुरस्कार को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत तक सीमित करता है।

पुट्टम्मा और अन्य बनाम के**.** एल**.** नारायण रेड्डी और अन्य **3**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 60 में निम्नलिखित टिप्पणी की:"अबती बेजबरूआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एक अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 148 के मामले में इस न्यायालय ने देखा कि न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा ब्याज की अलग-अलग दर दी जा रही है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ब्याज की दर न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में बदलाव, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाई जा रही नीति, मामला कितने समय तक लंबित है, जीवन के आनंद की हानि आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।"

(21) सुपे देई और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड और अन्य 4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मोटर दुर्घटनाओं के दावों के मुआवजे के मामलों में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष उचित ब्याज दर दी जाएगी। सुबे सिंह और एक अन्य

बनाम श्याम सिंह (मृत) और अन्य 5 प्रतिशत की ब्याज दर

3 2014 (1) आर. सी. आर (सिविल) 443 4 2009 (4) एससीसी 513

5 2018 (2) आर. सी. आर (सिविल) 131 (एससी)

564

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए वर्ष को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया था।

(22) उपरोक्त संदर्भित न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों, प्रचलित ब्याज की वाणिज्यिक दर, सावधि जमा प्राप्तियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज दर और अन्य प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, 7.5 की ब्याज दर में संशोधन करना उचित होगा। न्यायाधिकरण द्वारा 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

(23) उपरोक्त चर्चा के अनुसार, अपीलकर्ता/दावेदार रुपये की मुआवजे की राशि के भुगतान के हकदार हैं। 15,61,000-याचिका दायर करने की तारीख से समान शेयरों में प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। हालांकि, मुआवजे की राशि रु। 2,50,000-पहले से ही अपीलार्थियों/दावेदारों को दिया गया है, जो ऊपर के रूप में गणना की गई राशि से कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

(24) तदनुसार, न्यायाधिकरण, यमुना नगर, जगाधरी द्वारा पारित दिनांक 10.02.2010 के अधिनिर्णय के उपरोक्त संशोधनों के साथ वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुरेन्द्र शर्मा

अनुवादक